प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 07.08.2025

थाना निवाडी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद ।

आज दिनांक 08.07.2025 को थाना निवाडी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र के साथ अभियुक्त अंकित पुत्र श्याम सिंह निवासी ग्राम लिसाडी थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ उम्र करीब 30 वर्ष को चौकी क्षेत्र हल्का प्रथम से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना निवाडी पर आयुध अधिनियम की धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरे विरुद्ध आस पास के जनपदो में काफी मुकदमे पंजीकृत है तथा मेरे साथ पुलिस मुठभेड भी हुई है। मैं अपने मामा के यहां ग्राम कुम्हेडा के यहाँ जा रहा था अपने साथ यह अवैध तमंचा भी ले रखा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

अंकित पुत्र श्याम सिंह निवासी ग्राम लिसाडी थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ उम्र करीब 30 वर्ष।

बरामदगी का विवरण –

कब्जे से 01 अवैध तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना निवाडी पर आयुध अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। तथा थाना मुरादनगर पर 01 चोरी का अभियोग पंजीकृत है।

अभियुक्त के विरूद्ध थाना नई मण्डी जनपद मुजफ्फरनगर मे 03 अभियोग चोरी व अवैध शस्त्र से सम्बन्धित पंजीकृत है।

अभियुक्त के विरुद्ध जनपद मेरठ के थाना इंचौली, थाना गंगानगर, थाना टीपीनगर, थाना परतापुर, थाना ब्रहमपुरी, थाना मैडिकल कालेज, थाना लिसाढी गेट मे कुल 15 अभियोग चोरी, डकैती के प्रयास, अवैध चाकू, छेडखानी, शराब के सम्बन्ध मे पंजीकृत हैं।

अभियुक्त के विरुद्ध जनपद हापुड के थाना गढमुक्तेश्वर, बहादुरगढ, बाबूगढ, थाना सिम्भावली मे कुल 11 अभियोग चोरी, गैगस्टर, आयुध अधि0 , अवैध चाकू से सम्बन्धित है। (कुल अभियोग- 31)

अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम---

थाना निवाडी पुलिस टीम।

सड़क सुरक्षा हेतु यातायात पुलिस का स्कूल/कॉलेज स्तर

पर व्यापक जागरूकता अभियान

पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद महोदय के निर्देशानुसार, कमिश्नरेट गाजियाबाद में सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति आमजन विशेषकर स्कूली छात्र-छात्राओं को जागरूक करने के उद्देश्य से यातायात पुलिस की जागरूकता टीम द्वारा तीनों यातायात जोन (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय) में विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न स्कूलों में जाकर स्कूली छात्र-छात्राओं एवं स्कूल स्टॉफ को यातायात नियमों की विस्तृत जानकारी दी गई तथा यातायात नियमों का पालन किये जाने हेतु प्रेरित किया गया। इस अभियान के अंतर्गत इंग्राहम इंस्टिट्यूट, जी.टी. रोड, चैतन्य टेक्नो स्कूल, राजीव कॉलोनी, मोहननगर, डीएवी पब्लिक स्कूल, साहिबाबाद, फातिमा कॉन्वेंट सेकंडरी स्कूल नंदग्राम एवं राष्ट्रीय इंटर कॉलेज, नंदग्राम में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

इन सभी स्कूल/कॉलेज में यातायात पुलिस की जागरूकता टीम के साथ यातायात जोन के सहायक पुलिस आयुक्त, यातायात एवं यातायात निरीक्षक गणों के द्वारा स्वंय उपस्थित रहकर लगभग 4700 छात्र/छात्राओं एवं स्कूल/कॉलेज स्टॉफ को यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी गई। छात्र/छात्राओं को सड़क पार करते समय सावधानी बरतने, हेलमेट/सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने, तेज रफ्तार एवं लापरवाही से वाहन न चलाने, मोबाइल फोन का वाहन चलाते समय प्रयोग न करने जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रशिक्षित किया गया। साथ ही, उन्हें 'गुड समेरिटन' (सड़क दुर्घटना में घायल की मदद करने वाले सज्जन नागरिक को शासन द्वारा 25,000 पुरुष्कार के रूप में प्रदान किये जाने) की भूमिका एवं अधिकारों से भी अवगत कराया गया।

इस अभियान का उद्देश्य न केवल भविष्य के जिम्मेदार नागरिकों को तैयार करना है, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं में यथासंभव कमी लाना एवं यातायात नियमों के प्रति शत-प्रतिशत जागरूकता सुनिश्चित करना है।

यह अभियान आगामी दिनों में भी नियमित रूप से जारी रहेगा, ताकि गाजियाबाद में एक सुरक्षित एवं सुचारु यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

सुरक्षित रहें - सुरक्षित चलें

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा फायरिंग की घटना कारित करने के अभियोग में वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 05.08.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर असलाहों से लेस होकर वादी के साथ गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए दुकान के बाहर फायरिंग कर मौके से भाग जाना । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल सुसंगत धारा 191(2)/190/125/352/351(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 07.08.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित तथा प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1.मोन्टी उर्फ कार्तिक पुत्र मनोज पांचाल निवासी लक्ष्मी गार्डन लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष 2.विष्णु पुत्र मंगल निवासी शिव चौक लक्ष्मी गार्डन थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद

उम्र करीब 25 वर्ष 3.संदीप पहलवान पुत्र मुकेश शर्मा निवासी लक्ष्मी गार्डन थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष को थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 01.08.2025 को कुछ लोगो नें शिवा पर चाकूओं से वार किया था शिवा हमारे पास उठता बैठता है हम लोगो ने शिवा का बदला लेने एवं लोगो में अपना दबदबा बनाने के लिए फायरिंग की थी जिससे लोग भयभीत रहें।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.मोन्टी उर्फ कार्तिक पुत्र मनोज पांचाल निवासी लक्ष्मी गार्डन लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष।
2.विष्णु पुत्र मंगल निवासी शिव चौक लक्ष्मी गार्डन थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष।
3.संदीप पहलवान पुत्र मुकेश शर्मा निवासी लक्ष्मी गार्डन थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना निवाडी पुलिस द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये गये आभूषण, 01 मोबाइल फोन, 1500 रूपये नगद व 01 चाकूनुमा खुखरी बरामद।

दिनांक 22.04.2025 को थाना निवाडी पर वादी श्री मूलराज त्यागी पुत्र स्व राजबीर त्यागी निवासी ग्राम सारा निवाडी गाजियाबाद ने तहरीर दी कि अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर से जेवरात चोरी कर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना निवाडी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पर्जीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

आज दिनांक 07.08.2025 को थाना निवाडी पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर की सूचना के आधार पर उक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाले अभियुक्त बन्टी पुत्र कृष्णपाल निवासी ग्राम कुम्हेडा थाना निवाडी गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी की 01 जोडी पायल सफेद धातु, 01 जोडी दस्तीबन्द सफेद धातु, 01 जोडी हाथ के कडे झालर वाले सफेद धातु, 02 अंगूठी सफेद धातु, 01 जोडी बिछुए सफेद धातु, 01 टीका पीली धातु, 01 गले की चेन पीली धातु, 01 जोडी कान के झुमके पीली धातु, 01 अंगूठी पीली धातु, 01 मोबाइल फोन, 01 चाकूनुमा खुखरी मय कवर व 1500/- रुपये नगद बरामद हुये। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्त से पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि कुछ माह पहले मैंने व मेरे साथी असलम पुत्र मेहरबान निवासी मौहल्ला समर गार्डन थाना लिसाड़ी गेट जिला मेरठ ने ग्राम सारा थाना निवाडी में एक मकान से जेवरात व नगदी चोरी की। हम चोरी करने के लिए असलम की मोटरसाइकिल से गये थे। हमने मोटरसाइकिल को मकान के बहार खड़ी करके अन्दर घुसकर जेवरात व नगदी चोरी कर ली थी। मुझे असलम ने चोरी किये गये जेवरात में से कुछ जेवर दिए थे जिन्हे मैं आज कहीं बेचने की फिराक में जा रहा था। बाकी चोरी किये गये जेवरात व नगदी असलम के पास है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

बन्टी पुत्र कृष्णपाल निवासी ग्राम कुम्हेडा थाना निवाडी गाजियाबाद उम्र करीब 42 वर्ष।

वांछित अभियुक्त का नाम व पता-

असलम पुत्र मेहरबान निवासी मौहल्ला समर गार्डन थाना लिसाड़ी गेट जिला मेरठ।

बरामदगी का विवरणः-

कब्जे से चोरी की 01 जोडी पायल सफेद धातु, 01 जोडी दस्तीबन्द सफेद धातु, 01 जोडी हाथ के कडे झालर वाले सफेद धातु, 02 अंगूठी सफेद धातु, 01 जोडी बिछुए सफेद धातु, 01 टीका पीली धातु, 01 गले की चेन पीली धातु, 01 जोडी कान के झुमके पीली धातु, 01 अंगूठी पीली धातु, 01 मोबाइल फोन, 01 चाकूनुमा खुखरी मय कवर व 1500/- रुपये नगद बरामद

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना निवाडी पर उक्त घटना के संबंध में चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीमः-

थाना निवाडी पुलिस टीम।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग मे वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 31.07.2025 को वादी द्वारा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर तहरीर दी गई कि दिनांक 27.07.2025 को उसकी नाबालिग पुत्री उम्र करीब 17 को बहरामपुर में रहने वाला जावेद नाम का व्यक्ति बहला फुसलाकर ले गया है उक्त घटना में जावेद के अन्य परिजन भी शामिल हैं। प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर धारा 137(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अपहृता की सकुशल बरामदगी हेतु थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक से पुलिस टीमो का गठन किया गया। तत्पश्चात दिनांक 02.08.2025 को पीडिता को बरामद किया गया एवं पीडिता का मेडीकल व धारा 180/183 बीएनएसएस के बयान दर्ज कराये गये जिसके आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 64 बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गई।

आज दिनांक 07.08.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग मे वांछित अभियुक्त ईजाज उर्फ जाहिद उर्फ जावेद पुत्र स्व0 शौकत निवासी 25 फुटा रोड बौद्ध विहार गली न0-18 चोटपुर कॉलोनी गौतमबुद्धगर उम्र करीब 31 वर्ष को तिगरी गोल चक्कर के पास थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त द्वारा पूछताछ करने पर अपने जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया कि मेरी पीडिता के घर के पास बिजली मिस्त्री की दुकान है तथा मेरा पीडिता के परिवार में करीब 10 वर्षो से आना जाना था। पीडिता मुझे बहुत अच्छे से जानती थी जिसका फायदा उठाकर मैं पीडिता को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया था तथा उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बना लिये।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

ईजाज उर्फ जाहिद उर्फ जावेद पुत्र स्व0 शौकत निवासी 25 फुटा रोड बौद्ध विहार गली न0-18 चोटपुर कॉलोनी गौतमबुद्धगर उम्र करीब 31 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर उपरोक्त घटना के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पर पंजीकृत मुकदमा अपराध सं0 371/25 धारा 143(4) बीएनएस से सम्बन्धित मानव तस्करी करने वाले रैकेट का थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा अल्प समय में पर्दाफाश करते हुए 02 अभियुक्त व 02 अभियुक्ता को किया गिरफ्तार।

दिनांक 04.08.2025 को वादी श्री राशिद पुत्र इस्लाम निवासी पूजा कालोनी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद ने अपने नवजात शिशु उम्र करीब 01 वर्ष को अज्ञात व्यक्ति द्वारा बेचने के उद्देश्य से अपहरण करने के सम्बन्ध में थाना ट्रोनिका सिटी पर मु0अ0सं0-371/25 धारा 143(4) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया नवजात शिशु की सकुशल बरामदगी व अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त लोनी के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष ट्रोनिका सिटी के नेतृत्व में तीन टीमो का गठन किया गया। थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इनपुट, सीसीटीवी फुटैज के आधार पर सुरागसी-पतारसी करते हुये लोनी इण्टर कालेज गली के पास पहुँचे पुलिस को आता देख अपहरणकर्ता नवजात शिशु को गली में छोडकर, अपनी मोटर साईकिल DL13SM2265 से फरार हो गये। पुलिस टीम द्वारा अपर्हत नवजात शिशु को कडी मशकत व अथक प्रयास से 04 घण्टे के अन्दर सकुशल बरामद कर नवजात शिशु को गोद में उठाकर दुलार करते हुये उसके माता पिता के सुपुर्द किया गया। इसके पश्चात सीसीटीवी में कैद अपहरणकर्ता नवजात शिशु को गोद में ले जाने वाली की पहचान की गयी पहचान के उपरान्त आज दिनांक 07.08.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना अभियुक्तगण 1.नावेद पुत्र इस्लामुद्दीन निवासी प्रेमनगर थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद 2- अफसर अली उर्फ अलफाज पुत्र मेंहदी हसन निवासी अंसार मस्जिद के पास पूजा कालोनी

थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद को निशान्त कालोनी ट्रोनिकासिटी से 3. अभियुक्ता संध्या पत्नी सौरव चौहान निवासी अंकित विहार पचैडा रोड थाना नई मण्डी जनपद मुजफ्फरनगर 4. अभियुक्ता स्वाती उर्फ साइस्ता पत्नी वसीम निवासी डंगडूगरा थाना कांधला जनपद शामली को खडखडी स्टेशन लोनी के पास से गिरफ्तार किया गया अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त अफसर ने पूछताछ पर बताया कि वह मूलरूप से जनपद शामली का रहने वाला है। पाँच माह पहले लोनी प्रेमनगर में किराये पर रहता था। वहीं पर इसकी दोस्ती नावेद अंसारी नाम के लडके से हुयी,लोनी से मकान खाली करके पूजा कालोनी में किराये पर लेकर रहने लगा नीचे मुर्गे की दुकान करता था। साँवन का महीना चलने के कारण मीट की दुकान पूर्ण रूप से बन्द रहने के कारण पैसे की जरूरत के लिये अफसर ने अपने दोस्त नावेद अंसारी को अपनी दुकान पर बुलाया और पडोस में रहने वाले राशिद के नवजात शिशु का अपहरण कर बाहर बेचने की योजना बनायी। इस गैंग में महिलाओ इसलिये रखते हैं कि ये दिखायी दे कि हम बच्चो के माँ-बाप हैं। बच्चे ना रोये ना चिल्लाये। योजना के अनुसार अपने साथी स्वाती उर्फ साइस्ता पत्नी वसीम निवासी डंगडूगरा थाना कांधला जनपद शामली से नवजात शिशु को बेचने के लिये सम्पर्क किया। स्वाती उर्फ साइस्ता पत्नी वसीम निवासी डंगडूगरा थाना कांधला जनपद शामली ने नवजात शिशू को बेचने के लिये अपनी दोस्त संध्या पत्नी सौरव चौहान निवासी अंकित विहार पचैडा रोड थाना नई मण्डी जनपद मुजफ्फरनगर से बात की। और अपने साथी अफसर से नवजात शिशु का फोटो मांगा और फोटो अपने साथी कथित महिला मुजफ्फरनगर को भेज दिया। संध्या पत्नी सौरव चौहान निवासी अंकित विहार पचैडा रोड थाना नई मण्डी जनपद मुजफ्फरनगर ने बताया मैंने फोटो को अपने नेटवर्क के साथी दिल्ली, बिजनौर, मुरादाबाद, रूडकी , अमरोहा आदि पार्टियो को भेजा गया। फोटो देखकर मुरादाबाद की पार्टी जो प्राइवेट नर्सिंग होम में मुरादाबाद में नर्स के साथ ढाई लाख रूपये में नवजात शिशु की डील हुयी। अगले दिन संध्या पत्नी सौरव चौहान निवासी अंकित विहार पचैडा रोड थाना नई मण्डी जनपद मुजफ्फरनगर ने बताया कि अचानक मुरादाबाद पार्टी बाहर जाने के कारण इन्तजार करने को बोला है परन्तु कोई नहीं दूसरी पार्टी अमरोहा से बात हो गयी है उसके साथ नवजात शिशू की डेढ लाख में डील हो गयी है। चूँकि गोरी चमड़ी वाले नवजात शिशु की मांग अधिक करते हैं तथा सांवले नवजात बच्चे व बच्चियो की मांग कम होती है और पैसे भी कम मिलते हैं। यह बच्चा गोरा व सुन्दर है पसन्द आ गया है परन्तु पैसे डेढ लाख रूपये ही दे रहे हैं। क्योकि तत्काल में पैसा कम मिलता है। हमारे इस गैंग ने नवजात शिशु का कोड वर्ड प्लाट रखा हुआ था।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त अफसर ,नावेद अंसारी, स्वाती उर्फ साइस्ता पत्नी वसीम निवासी डंगडूगरा थाना कांधला जनपद शामली, संध्या पत्नी सौरव चौहान निवासी अंकित विहार पचैडा रोड थाना नई मण्डी जनपद मुजफ्फरनगर का एक सक्रिय गैंग है जो अपने नेटवर्क के माध्यम से नवजात शिशु का अपहरण कराकर अपने नेटवर्क के माध्यम से अपने साथी पार्टी दिल्ली, बिजनौर, मुरादाबाद, रूडकी , अमरोहा को अपर्हत नवजात शिशु का फोटो भेजकर ढाई लाख में बात हुयी पार्टी पैसे देने को तैयार हो गयी थी। इनका नेटवर्क उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्यो के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर,नेपाल में भी होना बताया गया है। इस प्रकार की गैंग में डॉक्टर, नर्स और चैरिटी कार्यकर्ता भी शामिल रहते हैं जो अनचाहे गर्भधारण वाली युवतियों को अपने बच्चे बेचने के लिए राजी करते हैं तथा कुछ मामलों में, हाल ही में बच्चे को जन्म देने वाली गरीब महिलाओं के बच्चे चुरा लिए जाते हैं। फिर माताओं को बताया जाता है कि उनके बच्चे प्रसव के दौरान मर गए। जब महिलायें अपने मृत शिशुओं को देखने की माँग करती हैं उन्हें चुप रहने के लिए पैसे देते हैं। इस प्रकार मानव तस्करी करके काला-बाजारी / काफी मोटी रकम अवैध धन अर्जित करते हैं।

महत्वपूर्ण / उल्लेखनीय तथ्य जो सामने आये हैं --

1.चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट (बाल तस्करी गिरोह)- यह एक अवैध अडोपस्न रैकेट है जिसमें नर्स हॉस्पीटल, आशा वर्कर्स, चैरिटी वर्कर्स, मैरिज ब्यूरोज चलाने वाली महिलाएं शामिल है जो नवजात एवं छोटे बच्चो की सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से तस्करी करते है एवं उन्हे रुपये लेकर बेचते है।

मॉडस ऑपरेनडाईः-

2.अस्पताल में आने वाली अविवाहित महिलाएं जिनकी अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है उनके बच्चे एवं गरीब माँ को गुमराह कर मरा हुआ बच्चा पैदा होना बताकर उनके स्वस्थ बच्चे को ले लेते है इसके अलावा बच्चो की डिमाण्ड पूरी करने के लिए यह गिरोह नवजात शिशुओं एवं छोटे बच्चो की अस्पताल एवं मौहल्लों से चोरी भी करता है एवं इनके द्वारा किडनैपिंग की घटना को भी अंजाम दिया जाता है जैसा कि थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र में हुआ है।

3.सोशल मीडिया विशेषकर व्हाट्सएप्प के माध्यम से गिरोह में शामिल सभी लोगो को बच्चे की फोटो शेयर करते है जिसके बाद उनकी पहले से निर्धारित रेट चार्ट (लिंग एवं रंग के आधार पर सोशल प्रोफाइलिंग करते हुए) के अनुसार कीमत तय करते है एवं ऐसे शादीशुदा जोडे जो बच्चो को गोद लेना चाहते है उन्हे आगे बेच देते है। अभी तक की पूछताछ एवं जानकारी से यह संज्ञान मे आया है कि इस गिरोह के द्वारा पूर्व में बच्चो को दिल्ली, देहरादून, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर आदि में शादीशुदा जोडो को बेचा गया है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1-नावेद पुत्र इस्लामुद्दीन नि0 प्रेमनगर थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष

2-अफसर अली उर्फ अलफाज पुत्र मेंहदी हसन निवासी अंसार मस्जिद के पास, पूजा कालौनी थाना ट्रोनिका सिटी गा0बाद उम्र करीब 28 वर्ष

3. स्वाती उर्फ साइस्ता पत्नी वसीम निवासी डंगडूगरा थाना कांधला जनपद शामली उम्र करीब 35 वर्ष।

4. संध्या पत्नी सौरव चौहान निवासी अंकित विहार पचैडा रोड थाना नई मण्डी जनपद मुजफ्फरनगर उम्र करीब 37 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तके विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।